

नीलामी सूचना संख्या 01 वर्ष 2021-22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड कार्यालय परिसर बून्दी/उपखण्ड कार्यालय नैनवों में निम्नलिखित सूची अनुसार वाहनो की उनके सामने अंकित दिनांक को नीलामी की जावेंगी।


नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोली दाता को निम्न सूची अनुसार नीलामी की दिनांक को क्र.सं. 1 की खण्ड कार्यालय बून्दी एवं क्र.सं. 2 उपखण्ड कार्यालय नैनवों स्थल पर धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति/फर्म को नीलामी में शामिल नहीं किया जावेगा।

नीलामी शर्तो एवं सामान की जानकारी के बारे में किसी भी कार्य दिवस को खण्डीय कार्यालय में उपस्थिति होकर नीलामी से पूर्व जानकारी की जा सकती है।

क्रम संख्या	आईटम का नाम	संख्या	आरक्षित मूल्य (रूपयें में)	धरोहर राशि	नीलामी स्थल	धरोहर राशि जमा कराने का दिनांक व समय	नीलामी तिथि
1.	जीप आर.आर.आर. 7745	एक	20000/-	2000/-	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बून्दी	16.03.2022 11 AM	16.03.2022 12 PM
2.	जीप आर.एस.ओ. 3588	एक	20000/-	2000/-	कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड नैनवों	16.03.2022 3 PM	16.03.2022 4 PM

नीलामी शर्ते :-

- 1- उपरोक्त नीलामी जहां है जैसी है स्थिति में की जावेंगी। नीलामी की दिनांक से पूर्व नीलामी वाहन की स्थिति की जानकारी खण्डीय कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय नैनवों नीलामी स्थल से प्राप्त कर सकता है तथा नीलामी के दिन निरीक्षण हेतु कोई समय नहीं दिया जावेगा।
- 2- अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली छोड़ने से तुरन्त बाद छोड़ी गई बोली की राशि का 25 प्रतिशत नीलामी स्थल पर जमा कराना आवश्यक होगा। अन्यथा अमानत राशि जब्त कर बोली रद्द कर दी जावेंगी।
- 3- बोली छोड़े जाने के सात दिवस के अन्दर नीलामी (बोली) की शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त तुरन्त सामान को साईट से हटाना होगा।
- 4- वाहन को उठाने व ले जाने बाबत बोलीदाता को व्यक्तियों को कार्य पर लगाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार से दुर्घटना होती है तो विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5- नीलामी फाईनल होने के उपरान्त अधिकतम बोलीदाता के अलावा सभी की धरोहर राशि उसी समय लौटायी जावेंगी।
- 6- नीलामी निरस्त करने का समस्त अधिकार गठित समिति को होगा।
- 7- वाहन को उठाने /ले जाने का समस्त हर्जा खर्चा बोलीदाता का होगा।
- 8- नीलामी किये गये वाहन पर देय किसी भी प्रकार के कर (जी.एस.टी. वेट, आयकर, इत्यादि) के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा।


  
अधिशासी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड बून्दी

क्रमांक/नीलामी/ 806-829

दिनांक: 28/02/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता राप्रसा एवं जसा बांध वृत कोटा के आदेश क्रमांक /1221-22 दिनांक 24.08.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी को प्रस्तुत कर निवेदन है कि ( श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता राप्रसा एवं जसा बांध वृत कोटा के आदेश क्रमांक /1221-22 दिनांक 24.08.2021) उपरोक्त वाहनो की नीलामी हेतु कमेटी गठित करवाने का श्रम करें।
- 2- श्रीमान मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राज0 जयपुर
- 3- श्रीमान मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग कोटा
- 4- श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता रा.प्र.सा. एवं ज.सा. बांध वृत कोटा/जल संसाधन वृत कोटा/ बॉरा/ झालावाड
- 5- श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी जल संसाधन सम्भाग कोटा
- 6- अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा/बॉरा/छापी परियोजना खण्ड झालावाड/जल संसाधन परियोजना खण्ड बून्दी/चम्बल परियोजना खण्ड कोटा/ चवली खण्ड /चवली केनाल खण्ड झालावाड
- 7- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय बून्दी
- 8- वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी जल संसाधन खण्ड बून्दी
- 9- सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोली /नैनवाँ / लघु जल संसाधन योजना बून्दी /लघु जल संसाधन उपखण्ड बून्दी।
- 10- नोटिस बोर्ड खण्ड कार्यालय बून्दी
- 11- केशियर/स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।

  
अधिशासी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड बून्दी